उक्त पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं

R.T. मीरा
पेशकार
9/10/2024

9.10.2024. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र विशाल पेशी पेश करने पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में खारीज करवाना चाहते हैं। उक्त प्रार्थना मौजूदा स्थिति में खारीज किया जाता है। पत्रावली नस्ती से कम की जाकर बाद तरमीम तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रतनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.10.15 12:00:46 IST
Reason: SelfAttested